


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनयां, जिला बून्दी (राज0)

नैनयां न्यायालय

तारीख हुगम	सतधनायमण (ड चन्द्रप्रकाश १७/११/२०२२) हुगम कार्यवाही मय इनिशियल राज	नम्बर व तारीख अटकम जो हुग लय की तारीख में जारी हुए
------------	---	---

12.10.23 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राज.
अजमेर के मुन्तखिल धारणा पत्र RA
Act 6637/2022 बडनवान चन्द्रप्रकाश
बनाम शम्भुन गुप्तर आदि के निर्णय
दिनांक 15-09-2023 द्वारा यह
पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
टोंड जिला टोंड के यहां अंतरित करने
के आदेश दिये गए हैं। अतः माननीय
न्यायालय राजस्व मण्डल, राज., अजमेर
के निर्णय की अनुपालना में पत्रावली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंड
जिला- टोंड को अंतरित की जावे।
पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर
बाद तक्रमील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
टोंड को भिजित है।


उपखण्ड अधिकारी
नैनयां (बून्दी)

